डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.***

अनवान

वादी — **1.बाबूलाल पुत्र धीराराम, जाति मेगवंशी निवासी बांकलसर (जैसार), तहसील चौहटन**

बनाम

प्रतिवादीगण — **1.मोहनलाल 2.पुत्र धीराराम 2.लूणीदेवी पत्नि धीराराम 3.रामाराम 4.सुरेश पि.कबीराराम 5.भीखीदेवी पत्नि कबीराराम 6.जुगताराम 7.उमाराम 8.मेसाराम पि.टीकमाराम, जाति मेघवाल निवासी बांकलसर (जैसार), तहसील चौहटन 9.तहसीलदार चौहटन**

अधिवक्तागण — वादी वकील — **श्री नरेश भादू**

प्रतिवादीगण वकील — **श्री पवन धारीवाल**

वाद बाबत 88 RT Act.

मुकदमा नं. 196/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री बाबूलाल** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री पवन धारीवाल** एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम बांकलसर, पटवार हल्का जैसार तहसील चौहटन में खसरा सं. 350 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 351 रकबा 00.17 बीघा, खसरा सं. 352 रकबा 137.00 बीघा, कुल रकबा 138.13 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि में अंकित देवाराम पुत्र धीराराम का नाम हटाकर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र धीराराम का नाम खातेदारी में घोषित किया जाता है। लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्रार्थी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 23.05.2018 को जारी की गई।

दस्तखत...........................

ओहदा.............................

सहायक कलक्टर चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 196/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

अनवान

वादी – **1.बाबूलाल पुत्र धीराराम, जाति मेगवंशी**
निवासी बांकलसर (जैसार), तहसील चौहटन

बनाम

प्रतिवादीगण – **1.मोहनलाल 2.पुत्र धीराराम 2.लूणीदेवी पत्नि धीराराम**
3.रामाराम 4.सुरेश पि.कबीराराम 5.भीखीदेवी पत्नि कबीराराम
6.जुगताराम 7.उमाराम 8.मेसाराम पि.टीकमाराम, जाति मेघवाल
निवासी बांकलसर (जैसार), तहसील चौहटन
9.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री नरेश भादू**
प्रतिवादीगण वकील – **श्री पवन धारीवाल**

अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

निर्णय

दिनांक :– 23.05.18

वादी के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बांकलसर पटवार क्षेत्र जैसार तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 350 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 351 रकबा 00.17 बीघा, खसरा सं. 352 रकबा 137.00 बीघा, कुल रकबा 138.13 बीघा आयी हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता धीराराम के पैतृक खातेदारी की थी । वादी के पिता धीराराम के फौत होने पर धीराराम के विधिक उताराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम से फौतगी नामान्तरकरण पारित कर राजस्व रेकर्ड में धीराराम के स्थान पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। वादी के पिता धीराराम के फौत होने पर पारित नामान्तरकरण में प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम सही अंकित कर दिया गया परन्तु वादी का नाम बाबूलाल के स्थान पर देवाराम अंकित कर दिया गया जो राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश बिना विधिक जांच के हो गया। धीराराम के किसी भी पुत्र का नाम

सहायक कलक्टर
चौहटन

देवाराम नहीं है। वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल है अतः धीराराम की फौतगी के नामान्तरकरण में वादी का नाम बाबूलाल ही अंकित होना चाहिये था।

वादी के अन्य दस्तावेज यथा मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में वादी का नाम बाबूलाल ही अंकित है। वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र धीराराम है। इसलिए वादग्रस्त भूमि में अंकित देवाराम पुत्र धीराराम का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र धीराराम के नाम से खातेदारी घोषणा की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी सं. 1 से 8 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन धारीवाल ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया । प्रतिवादी सं. 9 ने उपस्थित होकर कहा कि वे कोई जवाब पेश नहीं करना चाहते है ।

वादग्रस्त आराजी के संबंध में तहसीलदार चौहटन को तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु लिखा लिखा गया । तहसीलदार से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में पी.डब्ल्यू.1 बाबूलाल पुत्र धीराराम का शपथ पत्र पेश किया। वकील प्रतिवादी वादी साक्ष्य से जिरह नहीं करना चाहते है अतः जिरह का अवसर बन्द किया गया।

पत्रावली न्याय आपके द्वार 2018 राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प जैसार में पेश हुई। वादी स्वयं उपस्थित । वादी को सुना गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । तहसीलदार चौहटन से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 8 के संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा बांकलसर पटवार क्षेत्र जैसार तहसील चौहटन जिला बाड़मेर में खसरा सं. 350 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 351 रकबा 00.17 बीघा, खसरा सं. 352 रकबा 137.00 बीघा, कुल रकबा 138.13 बीघा आयी हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी के पिता धीराराम के पैतृक खातेदारी की थी । वादी के पिता धीराराम के फौत होने पारित नामान्तरकरण में वादी का नाम बाबूलाल के स्थान पर देवाराम अंकित कर दिया गया जो राजस्व कर्मचारियों की भूलवंश बिना विधिक जांच के हो गया। वादी के अन्य दस्तावेज यथा मतदाता परिचय पत्र, राशनकार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में वादी का नाम बाबूलाल ही अंकित है। वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल पुत्र धीराराम है। तहसीलदार की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट में भी वादी का नाम बाबूलाल पुत्र धीराराम करने की अनुशंषा की गई। इसलिए वादग्रस्त

सहायक कलेक्टर
चौहटन

भूमि में अंकित देवाराम पुत्र धीराराम का नाम हटाया जाकर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र धीराराम के नाम से खातेदारी घोषणा करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायाहित में वादी का वाद स्वीकार किया जाकर **ग्राम बांकलसर, पटवार हल्का जैसार तहसील चौहटन में खसरा सं. 350 रकबा 00.16 बीघा, खसरा सं. 351 रकबा 00.17 बीघा, खसरा सं. 352 रकबा 137.00 बीघा, कुल रकबा 138.13 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि में अंकित देवाराम पुत्र धीराराम का नाम हटाकर उसके स्थान पर बाबूलाल पुत्र धीराराम का नाम खातेदारी में घोषित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.05.18 को न्याय आपके द्वार लोक अदालत/कोर्ट कैम्प जैसार मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर
चौहटन

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक/रीडर/2018/1066 दिनांक 24/5/18

प्रेषित :—

तहसीलदार चौहटन

विषय :— राजस्व वाद सं. 196/17 अनवान बाबूलाल बनाम मोहनलाल वगैरा में निर्णय की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 23.05.18 को पारित गया । अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :— निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन